

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद. / 57526 / 2015

जयपुर, दिनांक : 25 JAN 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्ड जारी करने एवं नवीनीकरण के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक पत्रांक दिनांक 28.01.2016, 09.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा संदर्भित पत्रों से स्पष्ट किया जा चुका है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत जॉबकार्ड जारी किया जाना एवं नवीनीकरण किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। जारी जॉबकार्ड के पूणरुपेण भर जाने या फट/नष्ट हो जाने के उपरान्त आवश्कतानुसार नया जॉबकार्ड जारी किया जावे एवं जॉबकार्ड की मांग किये जाने पर अधिनियम के प्रावधानानुसार नया जॉबकार्ड जारी किया जावे परन्तु जिलों में निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है एवं मौके पर नरेगा श्रमिकों के पास अभी भी अपूर्ण भरे हुए अथवा फटे/नष्ट जॉबकार्ड ही है। यह कृत्य ना केवल विभागीय आदेशों की अवहेलना की श्रेणी में आता है, अपितु महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 में श्रमिकों को दिए गए अधिकारों का भी हनन है तथा यह महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः इस संबंध में पुनः निर्देशित किया जाता है कि फटे/नष्ट एवं भरे हुए जॉबकार्ड के स्थान पर नये जॉबकार्ड तुरन्त जारी किये जावे एवं इन्हें अद्यतन रखा जावे। निरीक्षण के दौरान मौके पर यदि भरे/नष्ट/फटे जॉबकार्ड पाये गये अथवा अद्यतन नहीं पाये गये तो संबंधित ग्राम रोजगार सहायक तथा कार्यक्रम अधिकारी के विरुद्ध महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत तथा विभागीय नियमों के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आवश्यक
(देवाशोष पृष्ठ)
आयुक्त ईजीएस
25.01.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सह अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम महात्मा गांधी नरेगा समस्त।
- अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
- विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा पंचायत समिति समस्त।
- रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस